न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:–जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 103/2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या:–88,53 आरटीए

रायसिह पुत्र रजीराम जाति नाई निवासी नगराना – वादी

बनाम्

1. संतराम पुत्र रजीराम जाति नाई निवासी नगराना
2. मदनलाल पुत्र रजीराम जाति नाई निवासी नगराना
3. सुल्तानराम पुत्र रजीराम जाति नाई निवासी नगराना
4. संदीप कुमार पुत्र भूपेन्द्र कुमार पुत्र रजीराम जाति नाई निवासी नगराना
5. अनील कुमार पुत्र भूपेन्द्र कुमार पुत्र रजीराम जाति नाई निवासी नगराना
6. प्रकाश देवी पुत्री रजीराम पत्नी रजीराम जाति नाई निवासी हिरणावाली
7. लिछमा देवी पुत्री रजीराम पत्नी हीरालाल जाति नाई निवासी हिरणावाली
8. इन्द्रादेवी पत्नी ओमपालसिह माता विद्यादेवी पुत्री रजीराम जाति नाई निवासी थालड़का
9. भीमसैन पुत्र ओमप्रकाश माता विद्यादेवी पुत्री रजीराम जाति नाई निवासी थालड़का
10. महेन्द्र सिह पुत्र ओमप्रकाश माता विद्यादेवी पुत्री रजीराम जाति नाई निवासी थालड़का
11. श्रवण कुमार पुत्र ओमप्रकाश माता विद्यादेवी पुत्री रजीराम जाति नाई निवासी चक 5 एसएलडी नागलिया सूरतगढ़।
12. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री नवरत्न स्वामी–वकील वादी
2– श्री ओमप्रकाश शर्मा–वकील प्रति.सं. 1 ता 11

निर्णय

दिनांक :– 20.4.2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एव प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार मृतक रजीराम पुत्र जेठाराम के वंशज है। मृतक रजीराम के नाम से चक 11 एसबीएन में 0.405 है. व चक 6 एनजीआर में 0.641 है. कृषि थी उनकी मृत्यु उपरान्त उक्त समस्त कृषि भूमि मृतक रजीराम के जायज एवं कानूनी वारिसान के नाम दर्ज हो गई जो वर्तमान में चक नं. 6 एनजीआर खाता संख्या 188/99 व क चक न. 11 एसबीएन के खाता संख्या 52/44 में दर्ज है। नकल जमाबंदीया हमराह दावा प्रस्तुत है। उक्त समस्त कृषि भूमि हम वादी एव प्रतिवादीगण की विरास्तन कृषि भूमि है। उक्त विरास्तन कृषि भूमि मे से मृतक रजीराम के वारिसान 6 ता 11 कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है। उन्होने अपने विरासतन हक हिस्सा का हक त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में कर दिया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का विरास्तान कृषि भूमि में अच्छी मन्दी अनुसार व भूमि एकीकरण के लिए घरूतौर पर बंटवारा हो चुका है। मुताबिक घरू बटवारा के वादी प्रतिवादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्नप्रकार से भूमि हिस्सा में आई है:–

1. वादी रायसिह पुत्र रजीराम के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 6 एनजीआर खाता संख्या 188/99		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
164/222	53	9/0.127 पश्चिमी पासा,18/3/0.110,19/2/0.025 कुल 0.262 है.

2. प्रतिवादी संख्या 1 संतराम पुत्र रजीराम के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 6 एनजीआर खाता संख्या 188/99		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
164/222	53	9/0.127 पश्चिमी पासा,
चक 11 एसबीएन खाता संख्या 52/44		
179/206	33	20/0.082 पश्चिमा पासा

कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रतिवादी संख्या 2 मदनलाल पुत्र रजीराम के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 11 एसबीएन खाता संख्या 52/44		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
179/206	33	20/0.089 पूर्वी पासा, 19/1/0.127, 11/1/0.025 कुल 0.241 है.

प्रतिवादी संख्या 3 सुल्तानराम पुत्र रजीराम के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 6 एनजीआर खाता संख्या 188/99		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
164/222	53	9/0.0126 पूर्वी पासा,

5. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 संदीप कुमार, अंनिल कुमार पि भूपेन्द्र कुमार के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 6 एनजीआर खाता संख्या 188/99		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
164/222	53	8/0.1265 पूर्वी पासा,
चक 11 एसबीएन खाता संख्या 52/44		
179/206	33	20/0.082 संतराम के साथ चिपता हुआ पूर्वी पासा

घरुबटवार मुताबिक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई कृषि भूमि पर वादी ने काफी पैसे खर्च कर व काफी मेहनत कर भूमि सुधार किया व उसे काश्त योगय बनाया है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवा कर रकम राज अलग कायम करवाने का हकदार एवं दावेदार है। वादी ने कई दफा प्रतिवादीगण से अनुनय विनय की कि घरुबंटवारा मुताबिक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई विरास्तन कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा कर खाता तकसीम करवा लेवे किन्तु प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे एवं अंत मे पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया बस यही विनाय दावा है। घरु बटवारा मुताबिक हक हिस्सा मे आये कृषि भूमि का वादी विरास्तन खातेदार काश्तकार घोषित करवा कर मुताबिक बटवारा के अपना खाता तकसीम करवाने का हकदार एवं दावेदार है यदि घरुबटवारा मुताबिक हिस्सा मे आई कृषि भूमि का वादी को विरास्तन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता तकसीम नही किया गया तो मुझ वादी को कभी न पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपुर्ती किसी भी प्रकार से घन से न हो सकेगी। प्रतिवादी नं 12 को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया है इन से किसी प्रकार को डायरेक्ट अनुतोष नही चाहा गया है। दावा बाबत इस्तकरार हक व खाता तक्सीम का है जो उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है व अंदर मियाद है।

लिहाजा वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमावे कि चक नं 6 एन.जी.आर खाता सख्या 188/99 मे वादी 0.262 है० व प्रतिवादी 1 संतराम 0.1265 है० व प्रतिवादी नं 3 सुल्तानराम 0.1265 है० व प्रतिवादी नं 4 संदीप कुमार प्रतिवादी नं 5 अनील कुमार 0.1265 है० ब.हि.ब के विरास्तन खातेदार काश्तकार है व चक नं 11 एस.बी.एन खाता सख्या 52/44 मे प्रतिवादी नं 1 संतराम 0.082 है० व प्रतिवादी नं 2 मदनलाल 0.241 है० व प्रतिवादी नं 4 संदीप कुमार व प्रतिवादी नं 5 अनील कुमार 0.082 है० ब.हि.ब के विरास्तन खातेदार काश्तकार है एवं चक नं 6 एन.जी.आर खाता संख्या 188/99 मे प्रतिवादी नं 2 मदनलाल व प्रतिवादी नं 6 ता 11 का नाम व चक नं 11 एस.बी.एन खाता सख्या 52/44 में वादी व प्रतिवादी नं 3 सुल्तान राम व प्रतिवादी नं 6 ता 11 का नाम कलमजन किया जावे तथा वाद पत्र की चरण संख्या 5 के अनुसार खाता तकसीम कर रकम राज अलग अलग कायम की जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 12 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी एव प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

करने पर साक्ष्य वादी/प्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादीगण द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी निम्नानुसार प्रदर्श/प्रस्तुत किये गये चक 6 एनजीआर खाता संख्या 188/99 ज.स. 2072–75 प्रदर्श–1 व चक 11 एसबीएन खाता संख्या 52/44 ज.स. 2073–76 प्रदर्श–2

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 से 11 एक ही कुटुम्ब समुदाय के व्यक्ति है वादग्रस्त कृषि भूमि है जो हमारी जददी जायदाद है जिसका हमने अच्छी मन्दी अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद मे वादीगण व प्रतिवादीगण आपस मे सहमत है और राजीनामा भी पेश हो चुका है एवं वाद पत्र में कोई विरोध नहीं है इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकिल प्रतिवादीगण ने भी वाद पत्र को मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णितानुसार चक 6 एनजीआर खाता संख्या 188/99 ज.स. 2072–75 एव चक 11 एसबीएन खाता संख्या 52/44 ज.स. 2073–76 में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एव प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश कर अपना हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 6 एनजीआर खाता संख्या 188/99 ज.स. 2072–75 एव चक 11 एसबीएन खाता संख्या 52/44 ज.स. 2073–76 में वादी एव प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को निम्नानुसार भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त चको उक्त खातो से शेष प्रतिवादीगण का उक्तानुसार हिस्सा कम/नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

1. वादी रायसिह पुत्र रजीराम के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 6 एनजीआर खाता संख्या 188/99		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
164/222	53	9/0.127 पश्चिमी पासा,18/3/0.110,19/2/0.025 कुल 0.262 है.

2. प्रतिवादी संख्या 1 संतराम पुत्र रजीराम के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 6 एनजीआर खाता संख्या 188/99		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
164/222	53	9/0.127 पश्चिमी पासा,
चक 11 एसबीएन खाता संख्या 52/44		
179/206	33	20/0.082 पश्चिमा पासा

3. प्रतिवादी संख्या 2 मदनलाल पुत्र रजीराम के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 11 एसबीएन खाता संख्या 52/44		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
179/206	33	20/0.089 पूर्वी पासा, 19/1/0.127, 11/1/0.025 कुल 0.241 है.

4. प्रतिवादी संख्या 3 सुल्तानराम पुत्र रजीराम के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 6 एनजीआर खाता संख्या 188/99		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
164/222	53	9/0.0126 पूर्वी पासा,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
मंगरिया

5. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 संदीप कुमार, अनिल कुमार पि भूपेन्द्र कुमार के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 6 एनजीआर खाता संख्या 188/99		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
164/222	53	8/0.1265 पूर्वी पासा,
चक 11 एसबीएन खाता संख्या 52/44		
179/206	33	20/0.082 संतराम के साथ चिपता हुआ पूर्वी पासा

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 20.4.20% को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मंगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
मंगरिया